भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

तारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 34

उत्‍तर देने की तारीख: 13.12.2018

**आंध्र प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान**

**\*34. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी**

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) तथा पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की दर का वर्ष-वार, जिला-वार एवं प्रारंभिक, प्राथमिक, उच्चतर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्तर-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय प्रारंभिक, प्राथमिक, उच्चतर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं के सकल नामांकन अनुपात के संबंध में किन-किन बातों पर विशेष रूप से बल दे रहा है; और

(घ) पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की दर में कमी लाने के लिए दिए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्री प्रकाश जावडेकर)**

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**\*\*\*\*\***

**“आंध्र प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान’’ के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी द्वारा दिनांक 13.12.2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 34 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण।**

(क): सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) का कार्यान्‍वयन वर्ष 2017-18 तक किया गया था और अब इसे वर्ष 2018-19 से स्‍कूल शिक्षा की एकीकृत योजना – समग्र शिक्षा में सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2017-18 तक राज्‍य के लिए 2156 प्राथमिक और 4476 उच्‍चतर प्राथमिक स्‍कूल अनुमोदित किए गए हैं और ये सभी कार्यात्‍मक हैं। राज्‍य के लिए 3408 प्राथमिक स्‍कूल, 1047 उच्‍चतर प्राथमिक स्‍कूल, 70204 अतिरिक्‍त कक्षाएं,7143 पेयजल सुविधाएं, 36906 शौचालय, 165 ब्‍लॉक संसाधन केन्‍द्र (बीआरसी) और 523 क्‍लस्‍टर संसाधन केन्‍द्रों (सीआरसी) के निर्माण को अनुमोदित किया गया है, राज्‍य ने सूचित किया है कि इनमें से 3408 प्राथमिक स्‍कूल, 1045 उच्‍चतर प्राथमिक स्‍कूल, 69718 अतिरिक्‍त कक्षाएं, 6895 पेयजल सुविधाएं, 36649 शौचालय, 165 बीआरसी और 523 सीआरसी का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यू-डाइस) 2016-17 (अनंतिम) के अनुसार राज्‍य में आरंभिक स्‍तर पर कुल नामांकन 55.60 लाख , सकल नामांकन अनुपात (एनईआर) 80.5% था, पढ़ाई छोड़ने की दर 1.53, प्राथमिक से उच्‍चतर प्राथमिक तक एक कक्षा से अन्‍य कक्षा में जाने की दर 97.2% और प्राथमिक स्‍तर पर प्रतिधारण दर 85.71% प्रतिशत थी।

 एसएसए/समग्र शिक्षा (आरंभिक शिक्षा) के अंतर्गत वर्ष 2016-17, 2017-18 के दौरान आंध्र प्रदेश को जारी किए गए केन्‍द्रीय भाग का ब्‍यौरा निम्‍नानुसार है:

(रू. लाख में)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2016-17 | 2017-18 |
| जारी किया गया केन्‍द्रीय भाग | 63302.18 | 70431.00 |

समग्र शिक्षा (आरंभिक शिक्षा हेतु) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्‍य के लिए वर्ष 2018-19 के लिए संस्‍वीकृत और जारी किया गया केन्‍द्रीय भाग निम्‍नानुसार है :-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| वर्ष | संस्‍वीकृत राशि (केन्‍द्रीय भाग) | 12.12.2018 तक जारी की गई राशि (केन्‍द्रीय भाग) |
| 2018-19 | 81308.00 | 56508.97 |

 (ख) सूचना संलग्‍नक पर दी गई है।

(ग) और (घ): समग्र शिक्षा की केन्‍द्र प्रायोजित योजनाओं जिनमें एसएसए और आरएमएसए को शामिल किया गया है, इनका उद्देश्‍य वरिष्‍ठ माध्‍यमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है, ये योजनाएं अन्‍य बातों के साथ-साथ नामांकन, प्रतिधारण दर, पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर और बालिका शिक्षा के मुद्दों का समाधान करती हैं।

 एसएसए और आरएमएसए कार्यक्रमों ने स्‍कूलों में बालिकाओं सहित बच्‍चों के नामांकन और प्रतिधारण को प्रोत्‍साहित करने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए विभिन्‍न प्रोत्‍साहन प्रदान किए हैं। इनमें प्राथमिक, उच्‍चतर प्राथमिक और माध्‍यमिक स्‍कूलों तक पहुंच बढ़ाना, स्‍कूल अवसंरचना जैसे स्‍कूल भवन, अतिरिक्‍त कक्षाओं, बालिका शौचालयों, बालिका छात्रावासों, प्रयोगशालाओं,पुस्‍तकालयों, कला एवं शिल्‍प कक्षाएं, पेयजल सुविधाओं को सुदृढ़ करना शामिल है। महिला शिक्षकों सहित अतिरिक्‍त शिक्षकों की नियुक्ति के साथ-साथ महिला-पुरूष सकारात्‍मक पाठ्य पुस्‍तकें, शिक्षकों और शैक्षिक प्रशासकों का महिला-पुरूष सुग्राहीकरण, अन्‍य पहलें हैं। इसके अतिरिक्‍त देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्‍लॉकों में बालिकाओं विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्‍य पिछड़ा वर्ग और अल्‍पसंख्‍यकों की बालिकाओं के लिए उच्‍चतर प्राथमिक स्‍तर तक 587 कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अनुमोदित किए गए हैं। स्‍कूलों में बच्‍चों को बनाए रखने में सहायता प्रदान करने के लिए आरंभिक स्‍कूलों में मध्‍याह्न भोजन कार्यक्रम का भी कार्यान्‍वयन किया जाता है।

 कम शिशु लिंग अनुपात वाले चुनिंदा जिलों में बालिका शिक्षा को सशक्‍त बनाने के लिए ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना के अंतर्गत प्रति जिला 5 लाख रू. की दर से निधियां उपलब्‍ध करायी जाती हैं।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत बालिकाओं से संबंधित प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

1. राज्‍य द्वारा यथापरिभाषित आस-पड़ौस में स्‍कूलों को खोला जाना
2. बालिकाओं के लिए कक्षा VIII तक निशुल्‍क पाठ्य पुस्‍तकें
3. सभी बालिकाओं के लिए कक्षा VIII तक वर्दी
4. सभी स्‍कूलों में महिला-पुरूषों के लिए पृथक शौचालयों का प्रावधान
5. बालिकाओं की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के लिए सुग्राहीकरण कार्यक्रम
6. बालिकाओं के लिए कक्षा VI से XII तक आत्‍मरक्षा प्रशिक्षण का प्रावधान
7. माध्‍यमिक शिक्षा का व्‍यावसायीकरण
8. सीडब्‍लयूएसएन बालिकाओं के लिए कक्षा I से XII तक वजीफा
9. बालिकाओं के लिए कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का कक्षा VI से VIII से कक्षा VI से XII तक में उन्‍नयन
10. दूरस्‍थ/पर्वतीय क्षेत्रों/ दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय क्‍वार्टरों का निर्माण

आंध्र प्रदेश में वर्ष 2018-19 के दौरान लैंगिक और समानता (आरंभिक और माध्‍यमिक) के अंतर्गत कुल अनुमोदन निम्‍नानुसार:

(रू. लाख में)

|  |  |
| --- | --- |
|  अनुमोदित बजट |  प्रगति (वर्तमान तिथि तक) |
| वास्‍तविक |  वित्‍तीय  |  वास्‍तविक  | वित्‍तीय  |
| 656295 | 30895.14 | 494811 | 7090.748 |

बालिकाओं को स्‍कूल वर्दी के दो सेट वितरण करने में हुई प्रगति

|  |  |
| --- | --- |
|  2017-18 के लिए वास्‍तविक लक्ष्‍य  |  तीसरी तिमाही तक उपलब्धि ( 31 दिसम्‍बर, 2017 तक)  |
| 1562094 | 1562094 |

**\*\*\*\*\***

**संलग्‍नक**

|  |
| --- |
|  **“आंध्र प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान’’ के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी द्वारा दिनांक 13.12.2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 34 के भाग (ख) के उत्‍तर में उल्लिखित संलग्‍नक।** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (आंकड़े प्रतिशत में) |
| **राज्‍य/संघ राज्‍यक्षेत्र**  | **जिला** | **सकल नामाकंन अनुपात (GER)** |
| **2014-15** | **2015-16** | **2016-17** |
| **प्राथमिक** | **उच्‍चतर प्राथमिक** | **आरंभिक** | **माध्‍यमिक** | **प्राथमिक** | **उच्‍चतर प्राथमिक** | **आरंभिक** | **माध्‍यमिक** | **प्राथमिक** | **उच्‍चतर प्राथमिक** | **आरंभिक** | **माध्‍यमिक** |
| आंध्र प्रदेश  | अनन्तपुर | 91.41 | 76.89 | लागू नहीं | लागू नहीं | 92.23 | 79.73 | लागू नहीं | लागू नहीं | 92.64 | 79.50 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| चित्तूर | 91.56 | 82.02 | लागू नहीं | लागू नहीं | 89.54 | 83.68 | लागू नहीं | लागू नहीं | 88.07 | 84.04 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| कडप्पा | 97.23 | 75.64 | लागू नहीं | लागू नहीं | 92.38 | 76.76 | लागू नहीं | लागू नहीं | 91.70 | 77.94 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| ईस्ट गोदावरी | 99.55 | 83.90 | लागू नहीं | लागू नहीं | 97.03 | 87.33 | लागू नहीं | लागू नहीं | 98.60 | 89.31 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| गुंटूर | 94.89 | 75.77 | लागू नहीं | लागू नहीं | 91.35 | 78.58 | लागू नहीं | लागू नहीं | 93.55 | 82.46 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| कृष्णा | 94.16 | 80.30 | लागू नहीं | लागू नहीं | 92.72 | 82.99 | लागू नहीं | लागू नहीं | 92.64 | 86.52 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| कुरनूल | 95.66 | 71.65 | लागू नहीं | लागू नहीं | 94.49 | 73.67 | लागू नहीं | लागू नहीं | 96.09 | 75.02 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| नेल्लोर | 95.56 | 76.07 | लागू नहीं | लागू नहीं | 91.24 | 77.93 | लागू नहीं | लागू नहीं | 93.93 | 82.18 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| प्रकाशम | 97.74 | 71.90 | लागू नहीं | लागू नहीं | 91.68 | 73.65 | लागू नहीं | लागू नहीं | 91.08 | 75.62 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| श्रीकाकुलम | 92.43 | 82.06 | लागू नहीं | लागू नहीं | 91.49 | 85.57 | लागू नहीं | लागू नहीं | 90.67 | 85.9 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| विशाखापत्तनम | 99.02 | 81.91 | लागू नहीं | लागू नहीं | 94.97 | 83.28 | लागू नहीं | लागू नहीं | 96.77 | 87.17 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| विजयनगरम | 95.41 | 79.99 | लागू नहीं | लागू नहीं | 93.13 | 82.30 | लागू नहीं | लागू नहीं | 87.69 | 82.28 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| पश्चिम गोदावरी | 95.85 | 82.95 | लागू नहीं | लागू नहीं | 94.38 | 86.32 | लागू नहीं | लागू नहीं | 96.38 | 88.35 | लागू नहीं | लागू नहीं |
|  | **कुल**  | **1240.47** | **1021.05** | **0.00** | **0.00** | **1206.63** | **1051.79** | **0.00** | **0.00** | **1209.81** | **1076.29** | **0.00** | **0.00** |
| **राज्‍य संघ राज्‍यक्षेत्र**  | **जिला**  |  **पढ़ाई छोड़ने की दर (आंकड़े प्रतिशत में)** |
| **2014-15** | **2015-16** | **2016-17** |
| **प्राथमिक**  | **उच्‍चतर प्राथमिक**  | **आरंभिक** | **माध्‍यमिक** | **प्राथमिक** | **उच्‍चतर प्राथमिक** | **आरंभिक** | **माध्‍यमिक** | **प्राथमिक** | **उच्‍चतर प्राथमिक** | **आरंभिक** | **माध्‍यमिक** |
| आंध्र प्रदेश  | अनन्तपुर | 6.55 | 5.82 | लागू नहीं | लागू नहीं | 4.18 | 4.13 | लागू नहीं | लागू नहीं | 3.06 | 3.61 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| चित्तूर | 3.42 | 1.33 | लागू नहीं | लागू नहीं | 5.10 | 3.02 | लागू नहीं | लागू नहीं | 1.48 | 1.12 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| कडप्पा | 10.45 | 9.45 | लागू नहीं | लागू नहीं | 10.14 | 6.71 | लागू नहीं | लागू नहीं | 4.07 | 1.28 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| पूर्व गोदावरी | 0.68 | 2.00 | लागू नहीं | लागू नहीं | 5.33 | 4.09 | लागू नहीं | लागू नहीं | 1.01 | 1.45 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| गुंटूर | 2.66 | 1.19 | लागू नहीं | लागू नहीं | 8.13 | 6.18 | लागू नहीं | लागू नहीं | 1.03 | - | लागू नहीं | लागू नहीं |
| कृष्णा | 1.67 | 0.88 | लागू नहीं | लागू नहीं | 5.44 | 3.51 | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | लागू नहीं | लागू नहीं |
| कुरनूल | 8.80 | 6.85 | लागू नहीं | लागू नहीं | 8.33 | 7.79 | लागू नहीं | लागू नहीं | 3.79 | 2.87 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| नेल्लोर | 3.45 | 3.18 | लागू नहीं | लागू नहीं | 8.47 | 7.57 | लागू नहीं | लागू नहीं | 0.88 | - | लागू नहीं | लागू नहीं |
| प्रकाशम | 7.52 | 6.72 | लागू नहीं | लागू नहीं | 11.94 | 8.65 | लागू नहीं | लागू नहीं | 4.62 | 3.01 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| श्रीकाकुलम | 3.87 | 4.02 | लागू नहीं | लागू नहीं | 2.96 | 2.37 | लागू नहीं | लागू नहीं | 2.50 | 1.74 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| विशाखापत्तनम | 4.29 | 3.00 | लागू नहीं | लागू नहीं | 6.60 | 6.12 | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | लागू नहीं | लागू नहीं |
| विजयनगरम | 2.48 | 3.94 | लागू नहीं | लागू नहीं | 4.93 | 5.21 | लागू नहीं | लागू नहीं | 5.57 | 3.10 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| पश्चिम गोदावरी | 0.07 | 3.24 | लागू नहीं | लागू नहीं | 5.00 | 3.13 | लागू नहीं | लागू नहीं | 0.39 | 0.53 | लागू नहीं | लागू नहीं |
|  | **कुल** | **55.91** | **51.62** | **0.00** | **0.00** | **86.55** | **68.48** | **0.00** | **0.00** | **28.40** | **18.71** | **0.00** | **0** |
| **स्रोत : यू डाइज आंकड़े**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |